

आखिरी जांच: 25 सितंबर 2026

एसटी बस के टिकट में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट (महिला सम्मान योजना)

अधिकृत शीर्षक: "महिला सम्मान योजना" अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील रा.प. महामंडळाच्या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना रा.प. महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये 50% प्रवास सवलत अनुज्ञेय करणेबाबत

विभाग: गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार

शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी-0323/प्र.क्र.135/परि-1

तारीख: 3 अप्रैल 2023

इस शासन निर्णय से महाराष्ट्र में एसटी (MSRTC) की सभी तरह की बसों में महिलाओं को टिकट के किराये में 50 प्रतिशत छूट मिलती है, 17 मार्च 2023 से।

मुख्य बातें

- MSRTC की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट के किराये में 50 प्रतिशत छूट।
- यह MSRTC की सभी तरह की बसों में है: साधारण, अर्ध आरामदायक (मिडी और मिनी), निमआराम, बिना एसी शयन आसनी, शिवशाही, शिवनेरी और शिवाई (साधारण और एसी)।
- छूट 17 मार्च 2023 से लागू है।
- यह महाराष्ट्र की सीमा तक लागू है।
- शहरी परिवहन में लागू नहीं है।
- खर्च राज्य के बजट से होता है, वित्त विभाग की सहमति से।

इसका असर किन पर हो सकता है?

महाराष्ट्र में एसटी (MSRTC) बसों में यात्रा करने वाली महिलाएं।

क्या बदला?

- 17 मार्च 2023 से MSRTC की सभी बसों में महिलाओं को टिकट पर एक समान 50 प्रतिशत छूट मंजूर हुई।

आपको क्या करना चाहिए?

टिकट खिड़की पर या बस में छूट कैसे मिलती है, यह अधिकृत PDF और MSRTC की सूचना में देखें। इस शासन निर्णय में यह नहीं लिखा कि महिला को कौन सा प्रमाण दिखाना है।

अधिकृत PDF: <https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202304031825476129.pdf>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/gr/mahila-sanman-msrtc-half-fare-2023-04-03/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO आसान सार देता है। अधिकृत शासन निर्णय ही अंतिम दस्तावेज़ है। कुछ करने से पहले अधिकृत PDF पढ़ें।